

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)

पंचम तल, टावर-1, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ 226010

संख्या:-लॉजि0-परि0-3/2020(निरी0परि0)

दिनांक:लखनऊ: सितम्बर 30, 2020

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

जनपद-प्रतापगढ़/बॉदा/मीरजापुर/रायबरेली/हरदोई/आजमगढ़/खीरी।

विषय:

“उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015” के अनुसार निरीक्षक मोटर परिवहन के रिक्त 04 पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु बोर्ड प्रपत्र-19 में सूचना, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या- 1447/छ:-पु-2-2015-1100(2)2015

दिनांक 14.08.2015 द्वारा “उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015” में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निरीक्षक मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2019 से 30.06.2020 तक के रिक्त 04 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र-19 में सूचना, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी/ ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की अनन्तिम (TENTATIVE) वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो [http:// uppolice.gov.in](http://uppolice.gov.in) में **police units** में **Logistics - Circulars** पर प्रदर्शित की जा रही है।

3- प्रोन्नति के लिए अर्ह/पात्र कार्मिकों के **वर्ष 2009 से 2018** तक के सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां बोर्ड प्रपत्र-19 में अंकित किया जायेगा जो **56 कालम** में है तथा सेवा अवधि की गणना हेतु **कट आफ डेट 01.07.2019** होगी। उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त बोर्ड प्रपत्र-19 व बोर्ड प्रपत्र को भरे के संबंध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है। **बोर्ड प्रपत्र 19 में 56 कालम** की सूचना **A3** पेज पर **LandScape** में **माईक्रोसाफ्ट एक्सेल** में **Kruti Dev 010 Fonts** में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक, सीओ आफिस व पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर, नाम व मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

4- अतः उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की प्रसारित की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **क्रमांक-1 से 8** पर अंकित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की बोर्ड प्रपत्र-19 में 56 कालम की सूचना व सी0डी0, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व

स्व0घोषणा पत्र विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 05.10.2020 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> में **police units** में **Logistics - Circulars** पर अपलोड है, जहाँ से डाउनलोड कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

30/09/2020

(अमित वर्मा)

पुलिस अधीक्षक,

निमि0 अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की सूची जिनका बोर्ड प्रपत्र-19 में सूचना उपलब्ध करायी जानी है:-

SL. NO	PNO	NAME	FATHER	Home Distt	Rank	Present Posting
1	862450148	LAL DEEWAN	HEERA LAL	HAMEER PUR	SIMT	PARTAPGARH
2	842160115	DEVI PRASAD DWIVEDI	AMARNATH DWIVEDI	ALLAHABAD	SIMT	BANDA
3	860450856	PRADEEP KUMAR TRIPATHI	UMASHANKAR TRIPATHI	BANDA	SIMT	MZR
4	812421000	MILAN SINGH	RAJARAM	ETAWAH	SIMT	RBI
5	812540842	JAI KRISHANA	SADHU RAM	BAGPAT	SIMT	HARDOI
6	842634034	RAM ADHAR	DUJAI RAM	ALLAHABAD	SIMT	AZH
7	832142291	PAWAN SINGH	NATTHU SINGH	AMROHA	SIMT	KHERI
8	852460494	RAKESH KUMAR	KAILASH NARAYAN	KHIRI	SIMT	INT HQRS LKW

स्व-घोषणा-पत्र

मैं _____ (नाम/पदनाम) व _____ (पीएनओ)
पुत्र _____
निवासी _____ थाना _____ जनपद _____ वर्तमान में (जनपद / इकाई का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"
- (ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिय जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा- पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली -1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद /इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे _____ विरुद्ध _____ मु0अ0सं0 _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/ पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा- पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

बोर्ड प्रपत्र-03 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-03" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय ।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी । क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी ।
2	इस कालम में कर्मी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा ।
3	इस कालम में कर्मी से सम्बन्धित पात्रता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा ।
4	इस कालम में कर्मी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा ।
5	इस कालम में कर्मी का सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा ।
6	इस कालम में कर्मी का सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा ।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थ: पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस।
8	इस कालम में कर्मी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा ।
9	इस कालम में कर्मी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा ।
10	इस कालम में कर्मी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी ।
11	इस कालम में कर्मी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
12	सेवा अवधि- का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आरक्षी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी ।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी ।
16	
17	उदाहरणार्थ : यदि किसी कर्मी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:-
18	2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी कर्मी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे कर्मी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
20	इस कालम में कर्मी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय ।
21	इस कालम में कर्मी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी कर्मी की सत्यनिष्ठा रोकी गई है तो उससे कर्मी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
24	इस कालम में कर्मी द्वारा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में कर्मी के रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी ।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा ।

28	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
30	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
32	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
33	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
34	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
35	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
36	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
38	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
39	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
40	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2016
41	इसमें निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
42	इसमें कर्मी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
43	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
44	इसमें आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
45	इसमें अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि मा0 न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2016 नियत है।
46	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
47	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
48	इसमें कर्मी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
49	विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति -पूर्ण/लम्बित। पूर्ण है तो परिणाम व लम्बित है तो किस स्तर पर लम्बित है तथा लम्बित का कारण अंकित किया जाये।
50	यदि अपील हुई है तो अपील का दिनांक अंकित करते हुए अपील का परिणाम भी अंकित किया जाये।
51	इसमें कर्मी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2016 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
52	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 14-12-2016

53	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा ।
54	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा ।

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय ।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय ।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये । Lines/cells को merge न किया जाय ।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय ।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

